सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 207/2015

1 चन्दगीराम पुत्र रामचन्द्र।
2 भरतसिंह पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विमला तथाकथित बेवा नारायणराम।
2 मिन्टु कुमारी तथाकथित पुत्री नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल निवासी कारी धारणी उप तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
3 मृतक रामकुमार पुत्र कानाराम।
3/1 श्रीमती दड़की बेवा रामकुमार।
3/2 भागराम पुत्र रामकुमार।
3/3 मानसिंह पुत्र रामकुमार।
3/4 सन्तोष पुत्री रामकुमार।
3/5 बाई पुत्री रामकुमार।
4 श्रीमती शान्ति बेवा लक्ष्मण।
5 जितेन्द्र पुत्र लक्ष्मण।
6 रामसिंह पुत्र लक्ष्मण।
7 सारली बेवा उदमीराम।
8 महताब पुत्र भजुराम समस्त जाति जाट निवासीगण मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.09.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना मुकदमा उनवानी विमला बनाम चन्दगीराम मुकदमा नम्बर 75/2010 (120/2006) दावा बाबत घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 75/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 4.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.23 हैक्टेयर गैर मुमकीन आबादी खसरा नम्बर 170 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नमबर 171 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234/4 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 1.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 1.36 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मैनाना तहत तहसील बुहाना जिला झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
सीकर

एंव खाता विभाजन बाबत पेश किया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद अदालत मातहत ने दिनांक 29.09.2015 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में धारा 53,88 का दावा पेश किया गया था। मूल पुरूष रामचन्द्र के तीन पुत्र चन्दगीराम नारायण राम व भरतसिंह हुये नारायण राम अविवाहित फौत हो गया। दिनांक 19.09.2005 की डिक्री से नारायण राम का नाम रिकार्ड से हजफ किया गया। इस वाद में विमला, मिन्टु कुमारी पक्षकार नही थे। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है। जबकि इस तनकी के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नही है। सिविल न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही दावा करना चाहिए था। तनकी संख्या 2 में किसी भूमि के सम्बंध में पूर्व में कोई निर्णय हो जाने के उपरान्त उसके सम्बंध में अपीलीय न्यायालय में निर्णय व डिक्री खारिज करवाकर आना चाहिए था। नया दावा दायर करने का अधिकार नही था। समान अधिकारिता के न्यायालय को पूर्ववर्ती निर्णय को नल एण्ड वाईड मानने में कानूनी भूल की गई है। धारा 53,88 के दावे में बिना अनुतोष चाहे मिन्स प्रोफिट का आदेश जारी कर दिया जबकि बेदखली का दावा ही नही था। प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु 2007 में हो जाने के बावजुद प्राथमिक डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्व की गई है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विमला नारायण राम की पत्नी थी। गर्भवती थी उसी समय उसे घर से निकाल दिया। दिनांक 19.09. 2005 के निर्णय के उपरान्त विमला अपने पिहर में रह रही है। इससे उसके हक अधिकार समाप्त नही होते है। मिन्टु कुमारी नारायण की पुत्री है यह स्कुल रिकार्ड से साबित है। विवादित भूमि का नामान्तकरण हमारे नाम भरा जा चुका है। जिसे चुनौति नही दी गई है। न्यायालय जो उचित समझता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वह सहायता प्रदान कर सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बंध में विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 301/2004 उनवानी चन्दगीराम बनाम रामकुमार लम्बित था। जिसमें दिनांक 19.09.2005 को निर्णय हो चुका है। विचारण न्यायालय में इस निर्णय को प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय के मत में विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही है। यह सही है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 301/2004 में वादिया विमला व मिन्टु कुमारी पक्षकार नही थे। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है कि इस निर्णय को न्याय की दृष्टि से अपास्त किया जाना विधि सम्मत है।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा बेदखली का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। ऐसी स्थिति में मिन्स प्रोफिट का आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय इस दृष्टि से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि सन 2007 में प्रतिवादी संख्या 03 रामकुमार का देहान्त हो चुका था उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये धारा 151 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादीगण विमला व मिन्टु कुमारी का पक्षकार बनाये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दावा संख्या 301/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2005 को भी अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनों दावों को कन्सोलिडेट कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर